संख्या-20/2022/ 77-3002(003)/12/2021/001-645-2022

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा पर्यटन भवन गोमती नगर
लखनऊ ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 25 मई, 2022

विषय:- उ0प्र0 डिफेन्स कॉरिडोर की स्थापना हेतु अलीगढ़ नोड में अधिग्रहीत भूमि की सुरक्षा हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-307/यूपीडा-992/डिफे0कॉरि0/तकनीकी दिनांक 29.04.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें , जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 में विषयांकित परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-4/2021/62/77-3-21-153(एम)/18टी0सी0 दिनांक 19.01.2021 द्वारा निर्गत धनराशि रूपये 74.57 लाख को समायोजित करते हुए परियोजना की पुनरीक्षित वित्तीय स्वीकृति निर्गत का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखानुदान के अनुदान संख्या- 07 के लेखाशीर्षक ''5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03- राज्य राजमार्ग 337- सड़क निर्माण कार्य 08- बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना 24- वृहद निर्माण कार्य '' मद में प्राविधानित धनराशि रू. 40000.00 लाख के सापेक्ष डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड के विकास हेतु जनपद अलीगढ़ के ग्राम खैर तहसील अण्डला में अधिग्रहीत भूमि की सुरक्षा हेतु पक्की बाउण्ड्री वाल के निर्माण कार्य के लिए पुनरीक्षित लागत धनराशि रू0 629.69 लाख (रू0 छः करोड उन्नतीस लाख उन्नहत्तर हजार मात्र) निर्गत करने निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

## नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
2. यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. प्रायोजना की आवश्यकताओं एवं औचित्य के आधार पर प्रस्तावित कार्यों का क्रियान्वयन सुसंगत वित्तीय नियमों/विनियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4. धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृति धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30.12.2021 तथा शासनादेश दिनांक 29.03.2022 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,29,69,000 (रुपये छह करोड़ उन्तीस लाख उनहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 5054033370800 बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस - वे के साथ डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-15-X-2022-23-दिनांक:24-5-2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

**<u>संख्या-20/2022/ 77-3002(003)/12/2021/001-645-2022, तद् दिनांक।</u>**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-**

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
6. वित्त (ई) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।